संख्याः 2122/VIII/512–सेवा/2004

प्रेषक,

श्री दयाल सिंह नाथ,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी ।

श्रम सेवायोजन प्रशिक्षण एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग देहरादून दिनांकः 15 फरवरी–2005

विषयः वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु आयोजनागत पक्ष में सेवायोजन कार्यालयों को कैरियर काउसिलिंग केन्द्रों के रूप में सुदृढ़ीकरण किए जाने हेतु धनराशि का आंबटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 4923/डीटीईयू/सेवा/कैरि0काउ0 /ब0मा0/2004 दिनांक 13,सितम्बर–2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि प्रदेश के समस्त सेवायोजन कार्यालयों को कैरियर काउसिलिंग केन्द्रों के रूप में विकसित किए जाने हेतु आलोच्य वित्तीय वर्ष–2004–05 हेतु आपके प्रस्तावानुसार विभिन्न मानक मदों में संलग्न–विवरणानुसार रूपये 37,00,000/– (रूपये सैंतीस लाख मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष–2004–05 के आयोजनागत पक्ष में व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2. उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है, कि उक्त मद में आबंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आंबटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा । व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय जारी शासनादेशों/ अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3– व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, डीजीएसएण्डडी, की दरों एवं शर्तो, टेन्डर/कोटेशन आदि के विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त धनराशि से समस्त सेवायोजन कार्यालयों को कैरियर काउसिलिंग केन्द्रों के रूप में विकसित किए जाने हेतु आवश्यक साजसज्जा/उपकरण प्राप्त हो गये हैं ।

4. कम्प्यूटर आदि का क्रय एनआईसी/आईटी विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा ।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग एवं व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मदवार व्यय विवरण दिनांक 31 मार्च–2005 तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

8– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु अनुदान संख्या–16 मुख्य लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार 02–रोजगार सेवायें –आयोजनागत ,800–अन्य व्यय 04– सेवायोजन कार्यालयों के कैरियर काउंसिलिंग केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण–00 के अन्तर्गत सुसंगत मानका मदों के अन्तर्गत किया जायेगा । यह आबंटन निदेशक के अधीन समस्त कार्यालयों के लिए किया जा रहा है ।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : यूओ/366/वि0अनु0–3/2004 दिनांक 112–2005 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

संलग्नक : यथोक्त ।

भवदीय

(दयाल सिंह नाथ)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 2122 (1)/ VIII/ 512–सेवा/ 2004, तद्दिनांक :
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– सम्बन्धित् जनपद के कोषाधिकारी ।
3– वित्त अनुभाग–3
4– श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त बजट, उत्तरांचल शासन ।
5– नियोजन–विभाग ।
6– एन0आई0सी0, सचिवालय ।
7– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।